

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही मिलेगी सब्सिडी पर होम लोन देने की योजना

मेरठ। भारत की बढ़ती आबादी को रहने के लिए हर को एक आवास की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खरीदने योग्य घरों की संख्या वर्ष 2022 तक 100 मिलियन के जितनी ऊँची हो सकती है। यद्यपि, मांग और आपूर्ति कानून के विपरीत, इस बढ़ती हुई मांग ने वास्तव में आवास इकाइयों की बिक्री को भारी मात्रा में बढ़ाया तो नहीं है। उच्च अचल संपत्ति की लागत, सूझबूझ से पारदर्शिता की कमी, अस्पष्ट और विलंबित समयसीमा और खराब सेवा ने खरीदारों को बाजार से दूर कर दिया है। वास्तविक रूप से इन अंतरालों को समझते हुए, खरीदने योग्य घरों की जरूरत और आवास इकाइयों की मांग और आपूर्ति दोनों के बीच की अंतरालों को जोड़ने के इरादे से और सस्ती वित्त की आपूर्ति करना ही, सरकार के साथ एक प्रमुख प्राथमिकता रही है।

रवींद्र सुधालकर ईडी और सीईओ , रिलायंस होम फाइनेंस ने कहा सरकार की जुड़वां चालें जैसे, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी वाले होम लोन देने की योजना और रियल एस्टेट विनियमन अधिनियमकी शुरुआत ने एजेंडा के शीर्ष पर केवल खरीदने योग्य घरों को ही नहीं लगाया है बल्कि घर खरीदारों के काम को भी आसान बना है। श्रेणियों के आरपार करीब 90 प्रतिशत भारतीय आबादी को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य से, एचएफए स्कीम का लक्ष्य धन के वित्तपोषण में दोनों अंतर को कम करना है।